HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 14321/2026
CNR: RJHC020881562026 | URN: CRLMB / 26458U / 2026

Rajulal Sharma S/o Ramkumar Sharma, Aged About 38 Years, R/o House No. 11 Manish Vihar Jamdoli, P.s. Jamdoli Jaipur Currently Near Bhomiya Temple, Naya Bagrana, Agra Road, P.s Kanota Jaipur East (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sudhir Jain, Adv. with Mr. Pradeep Kumar Meena, Adv. for Mr. Narendra Prasad Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

28/10/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–कानोता, जिला जयपुर पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**420/2016** अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन दिनांक 21.08.2026 को वापिस लिये जाने के आधार पर खारिज किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से प्रकरण में आलिप्त किया गया है, दिनांक 04.07.2026 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, मामला मजिस्ट्रेट

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.10.30
14:51:51 IST

न्यायालय द्वारा विचारणीय है, विचारण में समय लगेगा, अंत में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर परिवादी को भूखण्ड विक्रय कर करीब 11 लाख रुपये की अनुचित राशि प्राप्त कर परिवादी को नुकसान पहुंचाया।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **राजूलाल शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

129/DINESH KUMAWAT